प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022
   प्र0इ0रि0 सं. 404/2022 दिनांक 13/10/2022

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7
   (II) * अधिनियम .....भारतीय दण्ड संहिता धारायें .....120 बी.....
   (III) * अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....213.....समय . 6:35 P.M
   (ब) अपराध घटने का दिन बुधवार दिनांक 12.10.2022 समय 12:36 पीएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 07.10.2022 समय 02:00 पी.एम

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :– पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– उत्तर दिशा, लगभग 90 किमी.
   (ब) पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
   .....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री सागर मल
   (ब) पिता/पति का नाम श्री मूलचन्द सोनी
   (स) जन्म तिथी/वर्ष करीब ..... 55 साल.....
   (द) राष्ट्रीयता . भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय – मजदुरी
   (ल) पता – निवासी– गांव हरदास का बास, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –

1. श्री विजय सिंह मीणा पुत्र श्री जगदीश चन्द मीणा, उम्र 35 साल जाति मीणा निवासी वार्ड 5, लक्ष्मीनगर, कोटपुतली, जयपुर हाल शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
2. श्री मंयक गौड पुत्र श्री उमेश कुमार शर्मा, उम्र 22 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 21, संजय कॉलोनी, रावतसर जिला हनुमानगढ हाल SWOB (क्लर्क) पंजाब नेशलन बैक शाखा हरदासकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :--....कोई नहीं.

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ..... 5,000 रूपये .....

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12.विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 07.10.2022 को परिवादी श्री सागर मल पुत्र श्री मूलचन्द सोनी निवासी हरदासकाबास जिला सीकर ने एक प्रार्थना पत्र ब्यूरो में उच्चाधिकारियों के पास उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया कि –"सेवामें, श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार विवारण कार्यालय जयपुर(राज.) विषय :–बैक मैनेजर के खिलाफ रिश्वत राशि मांगने के खिलाफ कार्यवाही करवाने बाबत। महोदयः उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी सागर मल पुत्र श्री मूलचन्द सोनी निवासी हरदासकाबास जिला सीकर का रहने वाला हूं। प्रार्थी ने पंजाब नेशलन बैक हरदासबाकास से स्वयं के नाम से व मेरी पत्नी रेखा देवी के नाम से वर्ष 2016 में 50,000/– 50,000/– रूपये का मुद्रा ऋण लिया था। उक्त दोनो ऋण की सम्पूर्ण राशि दिनांक 01.08.22 को बैक में समझोता कर जमा करवा दी थी तब बैक मैनेंजर विजय मीणा ने प्रार्थी को कहा कि 15 दिन बाद N.O.C ले जाना, प्रार्थी तो विजय मीणा बैंक मैनेजर ने प्रार्थी से 5000/– 5000/– रूपये कुल 10,000/– रूपये रिश्वत राशि देने के लिये कहा व कहा कि 10000/– रूपये देने पर N.O.C दूंगा। प्रार्थी ने काफी निवेदन किया लेकिन 10000/– देने पर ही N.O.C देगें व प्रार्थो के बैक खाते को चालु करने के लिये कहा। दिनांक 04.10.222 को भी विजय मीणा बैक मैनेजर व विष्णु मीणा रिकवरी अधिकारी ने मोबाईल नम्बर 9928856205 से मेरे मोबाईल न 9829133154 पर फोन कर दोनो ने मेरे से रिश्वत के 10,000/–रूपये मांगे। मेरे बैक खाते को भी सीज कर रखा है। विजय मीणा बैक मैनेजर व विष्णु मीना रिकवरी अधिकारी के खिलाफ रिश्वत लेने की कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त दोनो के खिलाफ रिश्वत लेने बाबत कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी /एसडी सागर मल पुत्र श्री मूलचन्द सोनी निवासी हरदासकाबास जिला सीकर(राज.) Mob 9829133154 दिनांक 07.10.2022"। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य सही होना बताये। मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री सागर मल ने बताया कि मेरे स्वयं एवं मेरी पत्नी श्रीमति रेखा देवी के नाम से 2016 में लिये गये 50,000/– 50,000/– रूपये के मुद्रा लोन की हम दोनों समय पर किस्ते जमा करवाते रहे। बीच में हमारी कुछ किस्ते ड्यू हो गई थी। जिस पर मैने दिनांक 01.08.2022 को बैक मैनेजर श्री विजय मीणा से मिलकर उसके द्वारा बताये अनुसार मेरे ऋण खाता की बकाया समझोता राशि 18,000 रूपये एवं मेरी पत्नी श्रीमति रेखा देवी के ऋण खाते की बकाया समझोता राशि 20,000 रूपये जमा करवा दी थी। बैक मैनेजर श्री विजय मीणा ने कहा कि अब आपके दोनो खातो की कोई राशि बकाया नही है, आपको N.O.C/नो–ड्यूज सर्टिफिकेट हेतु दोनो खातो के 5000/– 5000/– रूपये कुल 10,000/– की रिश्वत देनी पडेगी।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला संदिग्धो द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। श्री रूपकिशोर कानि. 74 को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री सागर मल से आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय की आलमारी से सोनी कम्पनी का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के सभी फॉल्डर खाली होना सुनिश्चित कर रिकॉर्डर में 32 GB SanDisk Ultra का नया माईक्रो एसडी कार्ड लगाकर परिवादी को रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की प्रकिया समझाई गई। परिवादी श्री सागर मल ने बताया कि कल एवं परसो दो दिन बैको का अवकाश रहेगा। मै सोमवार दिनांक 10.10.2022 को बैक में जाकर अपनी N.O.C/नो–ड्यूज सर्टिफिकेट के सम्बंध में बातचीत करूंगा। जिस पर कानि श्री रूपकिशोर 74 को हिदायत दी गई कि दिनांक 10.10.2022 को मन पुलिस निरीक्षक से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर, हरदाकाबास, सीकर पहुंचकर परिवादी श्री सागर मल से सम्पर्क करे एवं परिवादी जब संदिग्धो के पास अपने काम के सम्बंध में बातचीत करने जाये उससे पूर्व रिकॉर्डर को चालू कर

परिवादी को सुपुर्द करे एवं आस–पास ही मौजूद रहकर अपनी उपस्थिति झुपाते हुये परिवादी एवं संदिग्धो के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने एवं उनको देखने का प्रयास करे। परिवादी श्री सागर मल को हिदायत मुनासिब कि गई कि दिनांक 10.10.2022 को अपने काम के सम्बंध में संदिग्धो से बातचीत करने के लिये जाने से पूर्व श्री रूपकिशोर कानि. से रिकॉर्डर प्राप्त करे एवं संदिग्धो के साथ रिश्वत के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। परिवादी श्री सागर मल को हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। दिनांक 10.10.2022 को श्री रूपकिशोर कानि 74 को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हरदासकाबास, सीकर भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 10.10.2022 को मन पुलिस निरीक्षक ने कानि. श्री रूपकिशोर 74 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर कार्यालय की अलमारी में उक्त गोपनीय कार्यवाही हेतु पूर्व में रखे गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकालकर कानि श्री रूपकिशोर 74 को सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना हरदासकाबास, सीकर किया गया। दिनांक 10.10.2022 को समय 12:51 पी.एम. पर समय कानि. श्री रूपकिशोर 74 ने अपने मोबाईल नम्बर 6375494341 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9571744744 पर कॉल करके बताया कि मै आपके निर्देशानुसार ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर हरदासकाबास, सीकर पहुंचा। जहां जरिये मोबाईल परिवादी श्री सागर मल से सम्पर्क कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पंजाब नेशनल बैक, शाखा हरदासकाबास रवाना किया गया। मै अपनी उपस्थिति छुपाते हुये पंजाब नेशनल बैक, शाखा हरदासकाबास के पास ही मौजूद रहा। परिवादी श्री सागर मल ने बैक के मुख्य गेट से बैक में प्रवेश किया तथा परिवादी प्रबधक की सीट पर बैठे व्यक्ति से बातचीत करते हुये नजर आ रहा था। कुछ समय बाद परिवादी श्री सागर मल ने पंजाब नेशनल बैक, शाखा हरदासकाबास के बाहर आकर मुझे रिकॉर्डर सुपुर्द किया। रिकॉर्डर को मैने बंद करके मैने अपने पास सुरक्षित रखा। इसके बाद कानि. रूपकिशोर 74 ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री सागर मल से मन पुलिस निरीक्षक की बातचीत करवाई तो परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैने श्री रूपकिशोर जी से चालू हालात में रिकॉर्डर प्राप्त किया तथा बैक में जाकर मैनेजर श्री विजय मीणा से मेरी व मेरी पत्नी के मुद्रा ऋणो की N.O.C/नो–ड्यूज सर्टिफिकेट के सम्बंध में बातचीत की तो विजय मीणा ने मेरे से कहा कि आपका काम 10000 रूपये की जगह 5000 रूपये में हो जायेगा। मैनेजर ने यह भी कहा की 5000 रूपये की रिश्वत राशि मुझे आज ही देकर जाओ। कल आपको N.O.C/नो–ड्यूज सर्टिफिकेट मिल जायेगा। जिस पर मैने मैनेजर से कहा कि मेरी पत्नी बीमार है तथा आज मेरे पास 5000 रूपये भी नही है। मै परसो आपको 5000 रूपये दे दुंगा। परिवादी श्री सागर मल को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई तथा कानि रूपकिशोर 74 को कार्यालय पहुंच कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने के निर्देश फरमाये। समय 04:15 पी.एम. पर कानि. श्री रूपकिशोर 74 ने ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होकर मन पुलिस निरीक्षक को रिकॉर्डर सुपुर्द किया। रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को लैपटोप की सहायता से चलाकर सूना गया तो परिवादी श्री सागर मल से संदिग्ध बैक मैनेजर द्वारा N.O.C/नो–ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की ऐंवज में 5000 रूपये की रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई तथा संदिग्ध द्वारा आज ही रिश्वत राशि देने का दबाव बनाने पर परिवादी ने संदिग्ध से रिक्वेस्ट करके परसो रिश्वत राशि देना तय किया है। रिकॉर्डर को बंद करके कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। रिश्वत मांग सत्यापन पूर्ण हो चुका है आईन्दा ट्रेप कार्यवाही सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 11.10.2022 समय 05:20 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर 95717–44744 से परिवादी श्री सागर मल के मोबाईल नम्बर 98291–33154 पर कॉल करके परिवादी को रिश्वत राशि के 5000 रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 12.10.2022 को समय 09:30 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने कि हिदायत मुनासिब की गई।

दिनांक 12.10.2022 समय 09:45 ए.एम. परिवादी श्री सागर मल पुत्र श्री मूलचन्द सोनी निवासी हरदासकाबास जिला सीकर एवं स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमार विजय पुत्र श्री कैलाश चन्द विजय, उम्र 46 साल, जाति गुप्ता, निवासी– सी–66 बी महेशनगर हाल सहायक अभियंता एफ– तृतीय, जयपुर डिस्कॉम सांगानेर जयपुर एवं श्री भारतेन्दू सिंह पुत्र स्व. श्री गिरेन्द्र सिंह, उम्र 24 साल, जाति राजपूत, निवासी– 17 ए कृष्णानगर सांगानेर जयपुर हाल सीए– द्वितीय (एफ–तृतीय) जयपुर डिस्कॉम सांगानेर जयपुर उपस्थित कार्यालय है। समय 10:15 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री सागर मल से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने पढकर, समझकर व कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना–पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सागरमल से संदिग्ध श्री विजय मीणा, बैक प्रबंधक, शाखा पंजाब नेशलन बैक हरदासकाबास, सीकर को रिश्वत में दिये जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने

अपने पास से पांच सौ पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5000 रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द दृष्टांन्त में अंकित किये गये इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उसके बाद कार्यालय कर्मचारी श्रीमति शर्मिला महिला कानि 96 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त नम्बरी नोटों कुल 5000/– रूपये को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमति शर्मिला महिला कानि 96 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री सागर मल की जामा तलाशी गवाह श्री दीपक कुमार विजय से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री सागर मल की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफथलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्रीमति शर्मिला महिला कानि 96 से रखवाया गया तथा श्रीमति शर्मिला महिला कानि 96 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी। उसके पश्चात श्री गजानन्द उप निरीक्षक पुलिस से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया, जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पश्चात उक्त घोल में श्रीमति शर्मिला महिला कानि 96की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री सागर मल व स्वतंत्र गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध ने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को श्रीमति शर्मिला महिला कानि 96 से बाहर फिंकवाया गया तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सागर मल को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नं. 95717–44744 पर अपने मोबाइल से मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत की गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पहले व पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवश्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। परिवादी को यह भी हिदायत की गई कि वह यह भी ध्यान रखे कि संदिग्ध कौन से हाथ से पैसे ले रहा है और वह गिनता है या नहीं तथा लेने के बाद रिश्वत राशि को कहां पर रखता है। तत्पश्चात श्रीमति शर्मिला महिला कानि 96के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। कार्यालय की अलमारी में पूर्व में सुरक्षित रखे दोनों डिजिटल वॉईस रिकॉर्डरों को निकालकर श्री रूपकिशोर कानि. 74 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी श्री सागर मलजब संदिग्ध को रिश्वत राशि देने जाये, उससे पूर्व रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को देना सुनिश्चित करें। परिवादी श्री सागर मल को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे।उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई।

दिनांक 12.10.2022 को समय 10:40 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय टीम एसीबी मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी एवं ट्रेप उपकरणो के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 12:30 पीएम पर पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास के पास पहुंच कर परिवादी को रिकॉर्डर चालु करके सुपुर्द करवाकर हिदायत मुनासिब कर रवाना पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष जाप्ते एवं स्वतंत्र गवाहान के पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम रहे। समय 12:36 पी.एम. पर परिवादी श्री सागर मल ने पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास के मैनगेट पर आकर गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ए.सी.बी. जाप्ता के पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास के गेट पर पहुंचा। जहां परिवादी से मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर रिकॉर्डर को बंद करके सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया। जिसको आईन्दा सुनकर वार्ता रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। इसके बाद परिवादी

श्री सागर मल ने बैंक शाखा में प्रवेश कर बाई तरफ शाखा प्रमुख की सीट पर बैठे हुये व्यक्ति की ओर ईशारा बताया कि यही शाखा प्रबंधक श्री विजय सिंह मीणा है जिन्होने मेरे से अभी अभी मेरे एवं मेरी पत्नी श्रीमति रेखा देवी के नाम से लिये गये मुद्रा लोनो की N.O.C/नो–ड्यूज सर्टिफिकेट देने की ऐंवज मे मेरे से 5000/–रूपये रिश्वत के अपने दांहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी टेबल पर रखकर कहा कि सामने प्रधान खजांची कक्ष में बैठे मंयक गौड को दे दो। जिस पर मैनें उक्त 5 हजार रूपये शाखा प्रमुख की टेबल से उठाकर सामने प्रधान खजांची कक्ष में बैठे मंयक गौड को दे दिये। जिस पर मंयक गौड ने उक्त 5 हजार रूपये अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी टेंबल पर बाई साईड रखी नोट गिनने की मशीन पर रख दिये। इसके बाद मैनें बैक के मैन गेट पर आकर आपको ईशारा कर दिया। इस पर शाखा प्रमुख की सीट पर बैठे व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का एवं एसीबी टीम का परिचय देते हुये उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री विजय सिंह मीणा पुत्र श्री जगदीश चन्द मीणा, निवासी वार्ड 5, लक्ष्मीनगर, कोटपुतली, जयपुर हाल शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास, सीकर होना बताया। इस पर आरोपी श्री विजय सिंह मीणा से परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि श्री सागर मल एवं उसकी पत्नी श्रीमति रेखा देवी के मुद्रा लोनो के समझोते हेतु वकिल की फीस बाबत ये रूपये मैनें लेकर मेरी टेबल पर रख दिये तथा श्री सागर मल से कहा कि ये रूपये प्रधान खजांची कक्ष में बैठे क्लर्क मंयक गौड को दे दो। जिस पर श्री सागर मल ने ये रूपये मंयक गौड को दे दिये। जिस पर परिवादी श्री सागर मल ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि बैक मैनेजर झुठ बोल रहे है। मैनें मेरे एवं मेरी पत्नी श्रीमति रेखा देवी के मुद्रा लोनो का समझोता कर सम्पूर्ण बकाया राशि दिनांक 01.08.2022 को जमा करवा दी थी तथा बैंक मैनेजर श्री विजय सिंह मीणा ने उक्त लोनो की N.O.C/नो–ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की बदले मेरे से 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। दिनांक 10.10.2022 को बैंक मैनेजर श्री विजय सिंह मीणा ने मेरे से N.O.C/नो–ड्यूज सर्टिफिकेट बाबत पांच हजार रूपये रिश्वत की मांग की। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रधान खजांची कक्ष में बैठे व्यक्ति व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री मंयक गौड पुत्र श्री उमेश कुमार शर्मा, उम्र 22 साल, जाति ब्रहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 21, संजय कॉलोनी, रावतसर जिला हनुमानगढ हाल SWOB (क्लर्क) पंजाब नेशलन बैक शाखा हरदासकाबास, सीकर होना बताया। जिस पर श्री मंयक गौड से परिवादी श्री सागर मल से प्राप्त किये गये 5 हजार रूपये के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि मैने बैक मैनेजर श्री विजय सिंह मीणा के कहने पर ये पांच हजार रूपये श्री सागर मल से प्राप्त कर अपने दोनो हाथो में लेकर नोट गिनने की मशीन पर रख दिये तथा श्री सागर मल को मैने कहा कि बाहर से पर्ची ले आवो। इसके पश्चात श्री गजानन्द उप निरीक्षक पुलिस से ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उसके पश्चात इस ग्लास के घोल में आरोपी श्री विजय सिंह मीणा के दांहिने हाथ की अगुलियों एवं अगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गदमैला हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क कमशः VRH–1 व VRH –2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद श्री गजानन्द उप निरीक्षक से धोवन में काम लिये गये कांच के गिलास को धुलवाकर अगल से रखवाया गया एवं श्री गजानन्द उप निरीक्षक पुलिस के दोनो हाथो को साबुन पानी से धुलवाकर पुनः ट्रेप बाक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उसके पश्चात एक ग्लास के घोल में आरोपी मंयक गौड के दांहिने हाथ की अगुलियों एवं अगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क कमशः MRH–1 व MRH –2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री मंयक गौड के बांये हाथ की अगुलियों एवं अगुंठे को दूसरे ग्लास के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क कमशः MLH–1 व MLH –2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। श्री गजानन्द उप निरीक्षक से धोवन में काम लिये गये दोनो कांच के गिलासो को धुलवाकर अगल से रखवाया गया एवं श्री गजानन्द उप निरीक्षक पुलिस के दोनो हाथो को साबुन पानी से धुलवाये गये। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री भारतेन्दू सिंह से प्रधान खजांची कक्ष की तलाशी लिवाई गई

तो प्रधान खजांची कक्ष की टेबल पर रखी नोट गिनने की मशीन पर पांच पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल पांच हजार रूपये मिले जिनका मिलान पूर्व में बनी फर्द पेशी से करवाया गया तो हबहु वही नम्बरी नोट होना पाये गये। उक्त रिश्वत राशि के पांच हजार रूपये स्वतंत्र गवाह श्री भारतेन्दू सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके पश्चात श्री गजानन्द उप निरीक्षक पुलिस से एक कांच का साफ गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर मिश्रण रंगहीन रहा। उसके पश्चात कानि श्री राजेन्द्र सिंह 519 से ट्रेप बॉक्स से एक रूई का फोहा निकलवाकर नोट गिनने की मशीन का वह स्थान जहां पर आरोपी श्री मंयक गौड ने रिश्वत राशि रखी थी, उस स्थान का धोवन रूई के फोहे से लेकर उक्त ग्लास के धोल में रूई के फोहे को डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क क्रमशः CCM-1 व CCM–2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनों शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। रूई के फोहे को धुप में सुखाया जाकर माचिस की डिब्बी में डालकर सफेद कपडे की थैली में सील्डमोहर कर थैली पर मार्का "F" अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। गवाह श्री भारतेन्दू सिंह के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि पांच पांच सौ रूपये के 10 नम्बरी नोट कुल पांच हजार रूपये को एक सफेद कागज की चिट लगाकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री विजय सिंह मीणा एवं श्री मंयक गौड के निवास की खाना तलाशी लिवाई जाने हेतु हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। आरोपी श्री विजय सिंह मीणा से परिवादी श्री सागर मल एवं उसकी पत्नी श्रीमति रेखा देवी के मुद्रा लोन से सम्बंधित पत्रावली/रिकॉर्ड के बारे में पूछने पर श्री विजय सिंह मीणा ने बैक कार्मिक शिवा हरिजन पीऑन कम दफ्तरी से अपने बगल में रखी लकडी की अलमारी से निकलवाकर पेश की। एक फाईल श्री सागर मल सोनी के नाम से क्रमांक 90–132 कस्टमर आईडी EMD 004281 तथा दुसरी फाईल श्रीमति रेखा देवी के नाम से क्रमांक 90–114 कस्टमर आईडी 552420494 है। बैक शाखा में अन्य कार्मिक सुश्री मीनू मीणा एग्रीक्लचर ऑफिसर मौजूद है। आरोपी श्री विजय सिंह मीणा शाखा प्रबंधक ने बताया कि कैशियर सतपाल सिंह अवकाश पर है जो पास के गांव का ही रहने वाला है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी एवं उसकी पत्नी श्रीमति रेखा देवी के मुद्रा लोन से सम्बंधित पत्रावली/रिकॉर्ड की प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त करने एवं बैक शाखा को सुरक्षित सम्भलाने बाबत श्री सतपाल सिंह से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर बैक में तलब किया गया। श्री सतपाल सिंह कैशियर ने परिवादी श्री सागर मल की मुद्रा लोन से सम्बंधित पत्रावली/रिकॉर्ड की प्रमाणित फोटोप्रति पेज संख्या 1 से 67 तक एवं परिवादी की पत्नी श्रीमति रेखा देवी के मुद्रा लोन से सम्बंधित पत्रावली/रिकॉर्ड की प्रमाणित फोटोप्रति पेंज संख्या 1 से 53 तक पेश की। दोनो पत्रावलीयो/रिकॉर्ड की प्रमाणित फोटोप्रतियों के प्रथम एवं अन्तिम पेंज पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। दोनो मूल पत्रावलीयो/रिकॉर्ड को श्री सतपाल सिंह कैशियर को सुपुर्द किया गया ताकि परिवादी का कार्य बाधित नही हो। उक्त समस्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वत राशि एवं जप्त पत्रावली/रिकॉर्ड पृथक से तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।

इसके बाद आरोपीगण 01–श्री विजय सिंह मीणा पुत्र श्री जगदीश चन्द मीणा, निवासी वार्ड 5, लक्ष्मीनगर, कोटपुतली, जयपुर हाल शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास, सीकर 02.– श्री मंयक गौड पुत्र श्री उमेश कुमार शर्मा, उम्र 22 साल, जाति ब्रहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 21, संजय कॉलोनी, रावतसर जिला हनुमानगढ हाल SWOB (क्लर्क) पंजाब नेशलन बैक शाखा हरदासकाबास, सीकर को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में चैक लिस्ट तैयार की जाकर नियमानुसार अपने जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं श्री शिवा हरिजन पुत्र श्री कैलाश चंद हरिजन उम्र 34 साल निवासी वार्ड नं. 22, अन्डेसरी मोहल्ला, अजीतगढ, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल पीऑन कम दफ्तारी, बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदासकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष बैक में लगे डी.वी.आर. को चैक किया तो ट्रेप कार्यवाही दिनांक 12.10.2022 तक की रिकॉर्डिग है। उक्त रिकॉर्डिग को चैक किया गया तो उसमें उक्त बैक शाखा प्रबंधक की तरफ के कैमरे की रिकॉर्डिग मौजूद है। अतः उक्त HIKVISION कम्पनी की डी.वी.आर. को उक्त प्रकरण में बतौर वजह सबूत जप्त कर डी.वी.आर. पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डी.वी.आर में ट्रेप कार्यवाही के

समय परिवादी द्वारा आरोपी को रिश्वत देते समय की रिकार्डिंग है, उक्त डी.वी.आर को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। फर्द जप्ती डी.वी.आर. पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। इसके बाद परिवादी श्री सागर मल की निशादेही एवं स्वतंत्र गवाहान श्री भारतेन्द सिंह व श्री दीपक कुमार विजय की मौजुदगी मे घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 04:30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक सुभाष मील, स्वतंत्र गवाह श्री दीपक कुमार विजय मय श्री रूपकिशोर कानि. 74,श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 519 चालक श्री कमलेश कानि सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1398 से एवं श्री शिवराज सिंह, पुलिस निरीक्षक, श्री गजानन्द उ. नि., हैड कानि. श्री करण सिंह नं. 67, श्री सुरेश कुमार कानि 407, श्रीराम गुर्जर कानि.नं. 295, श्री रिजवान कानि 167 मय स्वतंत्र गवाहान श्री भारतेन्दू सिंह के मय ट्रेप बाक्स मय सरकारी लेपटॉप व प्रिन्टरचालक श्री अमित कानि 529 सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8798 मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री विजय सिंह मीणा एवं श्री मंयक गौड मय शील्डशुदा धोवनो के सैम्पल, बरामदशुदा रिश्वती राशि एवं जप्त शुदा डीवीआर एवं अन्य आर्टिकल्स के पंजाब नेशनल बैक शाखा हरदास का बास से रवाना ब्यूरो मुख्यालय, जयपुर हुआ। समय 06:50 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय आर्टिकल्स मय ट्रेप उपकरण मय आरोपीगण के उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षार्थ कार्यालय की अलमारी में रखा गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त सील्डशुदा आर्टिकल्स एवं बरामद सील्डशुदा रिश्वत राशि 5 हजार रूपये मय एक डी.वी.आर को सुरक्षार्थ कार्यालय की अलमारी में रखा गया जिनको आईन्दा जमा मालखाना करवाया जावेगा।

दिनांक 13.10.2022 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त सील्डशुदा आर्टिकल्स एवं बरामद सील्डशुदा रिश्वत राशि 5 हजार रूपये मय एक डी.वी.आर को प्रभारी मालखाना, प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर के नाम पत्रांक 1494 दिनांक 13.10.2022 जारी कर जमा मालखाना करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

आरोपी श्री विजय सिंह मीणा को रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन के दौरान उसके एवं परिवादी श्री सागर मल के मध्य हुई वार्ताऐ जिनको परिवादी श्री सागर मल द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। आरोपी की उक्त रिकार्ड वार्ता का मिलान आरोपी की नमूना आवाज से करवाये जाने हेतु आरोपी श्री विजय सिंह मीणा पुत्र श्री जगदीश चन्द मीणा, निवासी वार्ड 5, लक्ष्मीनगर, कोटपुतली, जयपुर हाल शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास, सीकर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपनी आवाज का नमूना देने हेतु कहा तो उन्होने अपनी आवाज का नमूना देने से इन्कार किया। इस पर आरोपी को पुनः गवाहान के समक्ष बताया कि आप अपनी आवाज का नमूना नहीं देगें तो यह माना जाएगा कि उक्त वार्ताओं में रिकॉर्ड वार्ता आपकी ही है। इस पर भी आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से स्पष्ट इन्कार किया। जिसकी फर्द नमूना आवाज पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 13.10.2022 समय 10:30 ए.एम. परिवादी श्री सागर मल ने मन पुलिस निरीक्षक को स्वयं के मुद्रा लोन की समझोता राशि 18000/–रूपये की पंजाब नेशनल बैक की जमा रसीद एवं अपनी पत्नी श्रीमति रेखा देवी के के मुद्रा लोन की समझोता राशि 20000/–रूपये की पंजाब नेशनल बैक की जमा रसीद की स्वयं के द्वारा हस्तारित फोटोप्रति पेश की जिनको बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गई।

दिनांक 13.10.2022 समय 11:00 ए.एम. पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 10.10. 2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 12.10.2022 को रिश्वत लेन देन के दौरान परिवादी श्री सागर मल एवं आरोपी श्री विजय सिंह मीणा शाखा प्रबंधक के मध्य आमने–सामने हुई वार्तायें, जिनको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डरो में रिकॉर्ड किया गया था उक्त वार्ताऐ रिकॉर्डर में लगाये गये 32 GB SanDisk Ultra मेमोरी कार्ड में दर्ज है। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्डर को लेपटोप से जोडकर रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज उक्त वार्ताओं को लेपटोप में एक फोल्डर में सेव किया गया। इसके पश्चात उक्त वार्ताओं की डी.वी.डी. बनवाने हेतु पांच खाली डी.वी.डी. मंगवायी जाकर पांचो डीवीडी को खाली होना सुनिश्चित कर लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से फोल्डर में सेव रिकार्ड वार्ताओं को पांचो डीवीडी में बर्न किया गया। पांचो डी.वी.डी. को बारी बारी से लैपटॉप में चलाकर सुना गया तो पांचो डीवीडी में उक्त वार्तायें रिकार्ड होनी पाई गई। परिवादी ने उक्त वार्ताओ में अपनी, आरोपी श्री विजय सिंह मीणा की आवाज की पहचान की। डी.वी.डी में रिकॉर्ड वार्ताओं को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री सागर मल की मौजूदगी में लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से सुना जाकर वार्ता रूपांतरण तैयार कर, शब्द ब शब्द मिलान किया गया, तो वार्ता रूपांतरण डी.वी.डी. में रिकार्ड वार्ता के अनुसार होना पाया गया। इसके पश्चात पांचो डी.वी.डी. पर क्रमशः मार्का A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का A-1, A-2, A-3, A-4 डीवीडीयो को पृथक पृथक डीवीडी कवर मे रखकर, पृथक–पृथक सफेद कपड़े की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर क्रमशः मार्का A-1, A-2, A-3, A-4 अंकित किये जाकर

थैलियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। मार्का A-5 डीवीडी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड 32 GB SanDisk Ultra जिनमें उक्त वार्तायें रिकार्ड है को एक प्लास्टीक छोटी पारदर्शी की खाली डिब्बी में रखकर, प्लास्टीक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रख कर, थैली पर मार्का SD अंकित किया जाकर थैली पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.10.2022 एवं रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 12.10.2022, जप्ति मेमोरी कार्ड, तैयार वार्ता डी.वी.डी की जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपीगण श्री विजय सिंह मीणा, शाखा प्रबंधक एवं श्री मंयक गौड SWOB (क्लर्क) के विरूद्ध आयोजित ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्तशुदा रिश्वत राशि के नोटों, धोवन के सैम्पलो, सी.डी. एवं समस्त आर्टिकल्स को सील्डमोहर करने हेतु उपयोग में ली गई कार्यालय की नमूना पीतल ब्रास शील "SBS" का नमूना फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण श्री विजय सिंह मीणा पुत्र श्री जगदीश चन्द मीणा, निवासी वार्ड 5, लक्ष्मीनगर, कोटपुतली, जयपुर हाल शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास, सीकर एवं श्री मंयक गौड पुत्र श्री उमेश कुमार शर्मा, उम्र 22 साल, जाति ब्रहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 21, संजय कॉलोनी, रावतसर जिला हनुमानगढ हाल SWOB (क्लर्क) पंजाब नेशलन बैक शाखा हरदासकाबास, सीकर के द्वारा आपस में आपराधिक षडयंत्र कर आरोपी श्री विजय सिंह मीणा द्वारा दिनांक 10.10.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी श्री सागर मल से उसके एवं उसकी पत्नी श्रीमति रेखा देवी के मुद्रा लोनो की N.O.C/नो–ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की ऐवज में 5000 रूपये की रिश्वत की मांग करना, मांग के अनुसरण में दिनांक 12.10.2022 को आरोपी श्री विजय सिंह मीणा द्वारा परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर आरोपी श्री मंयक गौड को दिलवाना, आरोपी श्री मंयक गौड द्वारा रिश्वत राशि अपनी टेबल पर रखी नोट गिनने की मशीन पर रखना, आरोपी श्री विजय सिंह मीणा के दांहिने हाथ, आरोपी श्री मंयक गौड के दोनों हाथो की अगुलियों एवं अगुठे के धोवनो एवं नोट गिनने की मशीन के धोवन का रंग गदमैला/गुलाबी होना पाया जाना अपराध अन्तर्गत धारा 7 भष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120 बी भा.द.स. का अपराध प्रमाणित पाया गया है। संदिग्ध श्री विष्णु मीणा, रिकवरी एजेन्ट, पंजाब नेशनल बैक, शाखा हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की संलिप्तता के सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाना आवश्यक है।

अतः आरोपीगण 01.–श्री विजय सिंह मीणा पुत्र श्री जगदीश चन्द मीणा, निवासी वार्ड 5, लक्ष्मीनगर, कोटपुतली, जयपुर हाल शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर 02.– श्री मंयक गौड पुत्र श्री उमेश कुमार शर्मा, उम्र 22 साल, जाति ब्रहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 21, संजय कॉलोनी, रावतसर जिला हनुमानगढ हाल SWOB (क्लर्क) पंजाब नेशलन बैक शाखा हरदासकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120बी भा.द.सं. का पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवा में पेश है।

(सुभाष मील)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जयपुर।

(सुभाष मील)
पुलिस निरीक्षक
स्पेशल यूनिट
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, स्पेशल यूनिट द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री विजय सिंह मीणा, शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदासकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर एवं 2.श्री मंयक गौड, क्लर्क, पंजाब नेशलन बैंक, शाखा हरदास का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 404/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3516-20 दिनांक 13.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मण्डल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

13.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।